तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उप. बहस प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र 212 RTA पत्रावली 24-2-21 को पेश हो।	
24-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी काखेरी (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.09 10:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

प्रार्थना पत्र 52/प्रा.प./2015
दायरा दिनांक 16/10/2017

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

1 सच्चिदानन्द शर्मा आयु 56 वर्ष आ0 स्व0 श्री रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ब्रहमपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

—प्रार्थी—

बनाम

1. धौंसीलाल उम्र 70 वर्ष आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. अशोक आयु 36 वर्ष आ0 धौंसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. गीताराम आयु 32 वर्ष आ0 धौंसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
4. धर्मसिंह आयु 25 वर्ष आ0 धौंसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट
वास्ते नियुक्त किए जाने रिसीवर

निर्णय दिनांक 24.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया कि खसरा न. 930 रकबा 0.30 हैक्टेयर,खसरा न. 931 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा न. 932 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी [illegible] है जो प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित है। प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि को सन 2020 की आखातीज में आ[illegible] थी किन्तु आखातीज सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.09 10:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

2070 से ही अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी को आदोली काश्त की आधी फसल देने से मना कर दिया अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा अवैधानिक होने से बिना किसी अधिकार व स्वत्व के होने से अप्रार्थीगण अतिकमणकारी है

अप्रार्थीगण द्वारा गत चार वर्षो से प्रार्थी का आधा हिस्सा अदा नही करने से उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से काबिज काश्त होकर नाजायज लाभ फसल के रूप में प्राप्त करते चले आ रहे है तथा नाजायज रूप से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहकर नाजायज रूप से फसल पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार प्रार्थना पत्र के चरण कम 2 में वर्णित कृषि भूमि पर से अपना कब्जा छोड़कर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को सम्भालने हेतु कई बार कहा किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी के कथन पर कोई ध्यान नही देते है एवं अतिकमणकारी की हैसियत कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है।अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रार्थी कां प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण का तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा न0 930,931,932 बन्दोबस्त सन 2015 के पूर्व पुराने खसरा न. 405 थे उक्त खसरा न. का रकबा 45 बीघा था जिसके नए खसरा न. 925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936 बने है बन्दोबस्त विभाग ने अप्रार्थीगण के कब्जे अधिकार की कृषि भूमि खसरा न. 930,931,932,को प्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया प्रार्थी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती की जानकारी होने पर झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.09 10:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है। और अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काश्त करतें हुए नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है। इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 पर काश्त करने बाबत् अप्रार्थीगण पर केस सिक्युरिटी कायम की जावें। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1979 पेज न. 293, आर आर डी 2010 पेज न. 99, आर.आर.डी. 2010 पेज न. 318, आर आर डी 2011 पेज न. 486, आर आर डी 1995 पेज न. 76, प्रस्तुत किए गए। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा वाद विषयक आराजी अप्रार्थीगण को आधोली देने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1987 पेज न.128, आर. आर.डी 1994 पेज न. 327, प्रस्तुत किए गए अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 वाके ग्राम उतराना के खाता संख्या 265 के अनुसार प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का वाद विषयक आराजी पर अवैध कब्जा होना बताकर वाद पत्र धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया गया है अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार इस आराजी पर उनका कब्जा होना उल्लेखित किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा वाद विषयक आराजी पर उनका कब्जा सहअधिकारपूर्वक होना यह अंकित नही किया गया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया गया है। यह प्रश्न ही आया कि वाद विषयक आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा सहअधिकार है या प्रार्थी का दावा मियाद बाहर है या नहीं उभयपक्षों की साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.09 10:07:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

5

के आधार पर निर्णित किया जाना सम्भव होगा। अप्रार्थीगण वाद विषयक आराजी पर नाजायज रूप से काश्त कर कृषि लाभ प्राप्त कर रहे है जिसको प्राप्त करने का उनको कोई सहअधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कब्जे की एवज में अप्रार्थीगण कब्जे पर कायम रहने बाबत् 500 रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष कैश सिक्युरिटी राशि कायम की जाती है। कैश सिक्युरिटी राशि प्रति कृषि वर्ष के प्रारम्भ माह जून में अप्रार्थीगण भूमि धारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ के कार्यालय में जमा करावें अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थीगण द्वारा कैश सिक्युरिटी राशि जमा नही करानें पर भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ विवादित आराजी खसरा न. 930 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा न. 931 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा न. 932 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 3 योग रकबा 2.28 हैक्टेयर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ अपने कब्जे में लेकर काश्त की व्यवस्था करावें निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार इन्द्रगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.09 10:07:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner